

राजकीय माध्यमक वद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के पदों पर कार्योचित कये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वजापन संख्या दिनांक -.....

संवर्ग प्रवक्ता/स0अ0एल0टी0 (सामान्य /महिला शाखा) वषय -.....

1- अभ्यर्थी का नाम-.....

2- पता/पति महिला अभ्यर्थी हेतु का नाम

3-जन्मतिथि-..... 4-गृहजनपद-

5- लंग प्ररुष/महिला -.....

6- स्थाई पता -.....

7-पत्र व्यवहार का पता -.....

8-मोबाइल न0.....9-ईमेल आई डी0.....

10-जाति (सामान्य /अनु0जा0/अनु0जन0जा0/अन्य पछडा वर्ग)-.....11-उप श्रेणी

12-शैक्षक प्रशक्षण योग्यता (समस्त प्रमाण पत्र अंक पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें):-

स्वप्रमाणित
फोटो

परीक्षा	वर्ष	बोर्ड/ वश्व वद्यालय का नाम	वषय	प्राप्त श्रेणी पूर्णांक/प्राप्तांक			ववरण
				पूर्णांक	प्राप्तांक		
हाईस्कूल							
इण्टर							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
बी0एड0 (सैद्धान्तिक)							
बी0एड0(प्रयोगात्मक)							
टी0ई0टी0							

13-अन्तिम शिक्षक के रूप में कये गये कार्य का ववरण (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें):-

क्र0स0	वर्ष	वद्यालय का नाम	वकास खण्ड	पदनाम	वषय	अवध (कब से कब तक)
मार्च 2015						
मार्च 2016						
मार्च 2017						
मार्च 2018						

नोट - समस्त शैक्षक/प्रशक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वः प्रमाणित होने चाहिये

घोषणा:-

- 1- मुझे अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ष 2015 में अनुबन्ध किया गया था तथा मेरे द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 तक अथवा (वास्तविक रूप कार्य करने की तिथि स्पष्ट करते हुये) शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है।
- 2 - वर्ष 2018-19 में अतिथि शिक्षक के आनलाइन प्रक्रिया में मेरे द्वारा समान वषय में कसी भी जनपद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।
- 3 - मैं वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में कसी भी जनपद में कार्यरत नहीं हूँ।

प्रमाण पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोच्च जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गयी सूचनायें सही व सत्य हैं तथा यदि कोई सूचना असत्य पायी गयी है तो वभाग मेरा अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्त नहीं होगी तथा इसके लिए मैं न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करुंगी।

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

ः वज्रप्ति/सूचना:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति जिन्हें अतिथ शक्षकों के रूप में वर्ष 2015 में अनुबंधित किया गया था तथा उनके द्वारा दिनांक 31 मार्च 20018 तक कार्य किया गया है, उन्हें कार्ययोजित कये जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु जनपद अल्मोड़ा के उक्तवत समस्त छूटे हुए अतिथ शक्षकों को सूचित किया जाता है क वे almora.nic.in/ schooleducation.uk.gov.in की वेबसाईट से एवं समस्त खण्ड शक्षा अ धकारी जनपद अल्मोड़ा कार्यालयों से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए दिनांक 21 सतम्बर, 2020 को अपराहन 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीडपोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र एवं तत्सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों सहित मुख्य शक्षा अ धकारी, अल्मोड़ा कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथ के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई वचार नहीं किया जायेगा। जिन अतिथ शक्षकों द्वारा उक्त अवध के दौरान जनपद अल्मोड़ा में कार्य किया गया है उन्हीं के आवेदन पत्रों पर वचार किया जायेगा।

(एच0बी0 चन्द)

मुख्य शक्षा अ धकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय: मुख्य शक्षा अ धकारी, अल्मोड़ा

पत्रांक: सेवार्यै-1,2/

/गेस्ट टीचर/ वज्ञापन/2020-21,

दिनांक अगस्त, 2020

प्रति लपः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 निदेशक माध्यमक शक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 जिला धकारी अल्मोड़ा।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमक शक्षा कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 4 श्री मुकेश बहुगुणा वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी/ MIS प्रभारी निदेशक वद्यालयी शक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ उक्त वज्ञप्ति को School education की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5 समस्त खण्ड शक्षा अ धकारी जनपद अल्मोड़ा।
- 6 सम्पादक दैनिक/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित क उपरोक्त वज्ञप्ति न्यूनतम दर पर अपने लोक प्रय समाचार पत्र पर 8*8 सेमी0 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 7 कार्यालय गार्ड फाईल/पत्रावली।

(एच0बी0 चन्द)

मुख्य शक्षा अ धकारी,
अल्मोड़ा।